राजस्व वाद संख्या – 598 / 2013
मातूराम बनाम गिरधारी आदि
निर्णय दिनांक – 29.06.2021

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ़ जिला झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी

अभिलाषा
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

राजस्व वाद सं. 598 / 2013
सीसीएमएस नम्बर – 2013 / 00715

1. मातूराम }
2. महावीर } पुत्रान फुलाराम जाति माली निवासी न्यू टेलीफोन एक्सचेंज के पास औद्योगिक क्षेत्र वार्ड नं. 1 पिलानी तहसील सूरजगढ़

बनाम ........वादीगण

1. गिरधारी पुत्र फुलाराराम (फौत)
   1 / 1 मनभरी पत्नील गिरधारी
   1 / 2 महेन्द्र
   1 / 3 लीलाधर उर्फ विजेन्द्र कुमार } पुत्रान गिरधारी जाति माली निवासी न 15 पिलानी
   1 / 4 सन्तरा
   1 / 5 सजना
   1 / 6 सुनीता } पुत्रीयान गिरधारी जाति माली

2. रामस्वरूप पुत्र फुलाराम (फौत)
   2 / 1 सन्तोष देवी पत्नी रामस्वरूप
   2 / 2 अलका पुत्री रामस्वरूप जाति माली निवासी इन्द्रमणी कॉलेज के पास पिलानी
   2 / 3 नरेश कुमार रामस्वरूप जाति माली इन्द्रमणी कॉलेज के पास पिलानी
   2 / 4 मनीष पुत्र रामस्वरूप (फौत)
   2 / 4 / 1 रजनी देवी पत्नी मनीष कुमार जाति माली निवासी इन्द्रमणी कॉलेज के पास पिलानी
   2 / 4 / 2 नुपुर सैनी पुत्री मनीष कुमार नाबालिक जरिये माता रजनी देवी जाति माली
   2 / 4 / 3 हिमानी सैनी पुत्री मनीष कुमार नाबालिक जरिये माता रजनी देवी जाति माली निवासी इन्द्रमणी कॉलेज के पास पिलानी
3. बजरंगलाल पुत्र फुलाराम जाति माली निवासी न्यू टेलीफोन एक्सचेंज के पास औद्योगिक क्षेत्र वार्ड नं. 1 पिलानी तहसील सूरजगढ़।
4. राज. सरकार जरिये भू–स्वामी तहसीलदार सूरजगढ़।
5. उप पंजीयक अधिकारी तहसीलदार सूरजगढ़।
6. नगरपालिका पिलानी जरिये अधिशाषी अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:33:47 IST
Reason: SelfAttested

........प्रतिवादीगण

दावा बाबत –खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

## –:: निर्णय ::–

वादी की ओर वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि– दिनांक :– 29.06.2021

(क) वाके ग्राम पिलानी स्थित भूमि खसरा नम्बर 513 रकबा 1.03 है. तथा वाके ग्राम रायला स्थित भूमि खसरा नम्बर 374 रकबा 1.92 है. का रास्ते का प्रावधान रखते हुए भौतिक बंटवारा कर लगान अलग से कायम की जावे।

(2) दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 25.01.2021 का राजीनामा के अनुसार प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ को कुरेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार सूरजगढ के पत्र क्रमांक 386 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा ग्राम पिलानी व क्रमांक 385 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा ग्राम रायला कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई ।

(6) बहस सुनी गई।

(7) पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायालय मुताबिक तहसीलदार सूरजगढ से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

## –:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके **ग्राम पिलानी स्थित भूमि खसरा नम्बर 513 रकबा 1.03 है. तथा वाके ग्राम रायला स्थित भूमि खसरा नम्बर 374रकबा 1.92 है.** भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव **ग्राम पिलानी** प्रदर्श ''अ–1 लगा. 2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' एवं विभाजन प्रस्ताव **ग्राम रायला** प्रदर्श ''अ–1 लगा. 2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। मुताबिक तहसीलदार सूरजगढ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव **ग्राम पिलानी** प्रदर्श ''अ–1 लगा. 2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' एवं विभाजन प्रस्ताव **ग्राम रायला** प्रदर्श ''अ–1 लगा. 2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:33:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

...कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव **ग्राम पिलानी** प्रदर्श "अ-1 लगा. 2" व नक्शा प्रदर्श "ब" एवं विभाजन प्रस्ताव **ग्राम रायला** प्रदर्श "अ-1 लगा. 2" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सूरजगढ को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन सम्बधित खातेदार को प्राप्त होने वाले ख.न./रकबे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

निर्णय आज दिनांक 29-06-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:33:47 IST
Reason: SelfAttested

# मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सूरजगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारी:– अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 598 / 2013
जीसीएमएस नम्बर – 2013 / 00715
निर्णय दिनांक:– 29.06.2021

मातुराम **बनाम** गिरधारी आदि

दावा बाबत –खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री मनोज डिग्रवाल एडवोकेट** की उपस्थिती व प्रतिवादीगण की ओर से श्री **सुनील शर्मा**..एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **29.06.2021.** को **अभिलाषा उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पिलानी स्थित भूमि खसरा नम्बर 513 रकबा 1.03 है. तथा वाके ग्राम रायला स्थित भूमि खसरा नम्बर 374रकबा 1.92 है. भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव ग्राम पिलानी प्रदर्श "अ–1 लगा. 2" व नक्शा प्रदर्श "ब" एवं विभाजन प्रस्ताव ग्राम रायला प्रदर्श "अ–1 लगा. 2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार सूरजगढ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव ग्राम पिलानी प्रदर्श "अ–1 लगा. 2" व नक्शा प्रदर्श "ब" एवं विभाजन प्रस्ताव ग्राम रायला प्रदर्श "अ–1 लगा. 2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ग्राम पिलानी प्रदर्श "अ–1 लगा. 2" व नक्शा प्रदर्श "ब" एवं विभाजन प्रस्ताव ग्राम रायला प्रदर्श "अ–1 लगा. 2" व नक्शा प्रदर्श "ब"इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन सम्बधित खातेदार को प्राप्त होने वाले ख.न. / रकबे / हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। "

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:33:47 IST
Reason: SelfAttested

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ